सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 03/2019 दिनांक 15.02.2019

श्री सरोज कुमार साहू
पिता श्री देवनाथ साहू
संजय नगर, शिक्षक कॉलोनी,
वार्ड कं.–15, कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.)

अपीलार्थी

O/o CE (EITC)
Receipt No. 155
Date 6 APR 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE.....Web.....
Section .........

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 26/03/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री सरोज कुमार साहू की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 03/2019 दिनांक 15.02.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सरोज कुमार साहू ने आवेदन दिनांकित 30.10.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से विभाग द्वारा CSPDCL एवं CSPGCL में नियुक्त A.E. विज्ञापन क्रमांक 01–04 एच.आर./244 दिनांक 06.04.2018, 03.05.2018 एवं रिजल्ट घोषित दिनांक 11.09.2018 के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी–

**(1)(अ) उक्त पोस्ट में अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग का मेरिट सूची निम्न बिन्दुओं के आधार पर (क्रमांक एवं रोल नबंर, नाम, प्राप्तांक परीक्षा, साक्षात्कार, योग)**

**(1)(ब) साक्षात्कार की टीम द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित समस्त सदस्यों द्वारा अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग का अंक।**

**(1)(स) उक्त पोस्ट का अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी/परीक्षार्थी द्वारा दिया गया OMR Sheet उत्तर पुस्तिका जांची हुई प्रतिलिपि।**

उक्त जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी गई है, जिससे असंतुष्ट होकर उन्होने प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, और वांछित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने का लेख किया गया है।

(3) उक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–03/2019/04 दिनांक 02.03.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 13.03.2019 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री सरोज कुमार साहू को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया था। उक्त सुनवाई की सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से भी दिया गया था। निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव अपील तथ्यों के आधार पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा बिन्दुवार जानकारी से अवगत करायी गई है।

<u>बिन्दु क्रमांक 01(अ)</u>– उक्त जानकारी संबंधित कंपनी के (मानव संसाधन) विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

<u>बिन्दु क्रमांक (1)(ब) एवं (1)(स)</u>– उक्त जानकारी गोपनीय प्रकृति की है जो कि व्यापक लोकहित में समाहित नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नही किया जाना है। अतएव जानकारी दिया जाना उचित नही है। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा उपरांत उनके जवाब व सही उत्तर उनके पंजीकृत ई–मेल पर उपलब्ध करा दिये गये है।

उक्ताशय की वस्तुस्थिति से आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 3973 दिनांक 27.11.2018 के द्वारा अवगत कराया गया था।

(5) उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि उनके द्वारा वांछित बिन्दु 01(अ), 01(ब), 01(स) की जानकारी धारा 8(1)(ञ) के तहत् गोपनीय दस्तावेज मानते हुए जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त दस्तावेज लोकहित दस्तावेज है। अतएव जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए हर्जाना दिलायी जावे।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दु क्रमांक 01(अ) के संदर्भ में आवेदक को अवगत कराया गया है कि उक्त जानकारी संबंधित कंपनी के (मानव संसाधन) विभाग से प्राप्त की जा सकती है, क्योकि उक्त पदों की (GEN. एवं OBC) वर्ग की मेरिट सूची संबंधित पॉवर कंपनी के (मानव संसाधन) कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। तथा बिन्दु क्रमांक (1)(ब) एवं (1)(स)–के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि उक्त जानकारी गोपनीय प्रकृति की है जो कि व्यापक लोकहित में समाहित नही है। धारा 8(1)(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नही किया जाना है, अतएव जानकारी दिया जाना उचित नही है, जो नियमानुसार व विधिसंगत है। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा उपरांत उनके जवाब व सही उत्तर उनके पंजीकृत ई–मेल पर उपलब्ध करा दिये गये है। यह भी लेख है कि उक्त पदों की परीक्षा Online के माध्यम से ली गई है, OMR Sheet पर नही।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) में यह व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नही है, जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो और जिसके प्रकटन से किसी तृतीय पक्ष की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

(iv) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील क्रमांक CIC/WB/A/2008/01041 Dated 10.02.2010 श्री सुनील कुमार सिंह विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग में पारित निर्णय के अनुसार "संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा दी जाने पर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में सूचना आयोग द्वारा अभिमत दिया गया है कि परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् जानकारी दी जा सकती है,

तु प्रत्येक प्रश्न पत्र में जितने अंक प्राप्त किये गये उन्हें दस्तावेजों के साथ बताया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नहीं है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है।

**(6)** इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका 04 एवं 5 (iii) टीप में निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार है, जिस पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

बिन्दु क्रमांक 01(अ) की जानकारी जो संबंधित कंपनी के (मानव संसाधन) विभाग से प्राप्त की जा सकती है। तथा बिन्दु क्रमांक (1)(ब) एवं (1)(स) की जानकारी व्यापक लोकहित मे समाहित नही है, क्योकि धारा 8(1)(ञ) के अनुसार उक्त जानकारी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नही किया जाना है। ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नही है, जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो और जिसके प्रकटन से किसी तृतीय पक्ष की गोपनीयता प्रभावित होने की संभावना हो। उत्तर पत्रक का प्रकटन वैश्वासिक संबंध से संबंधित है, जो परीक्षक और परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी के बीच विद्यमान है, जिसका प्रकटन नियमानुसार संभव नही है।

एक अन्य तथ्य जिसकी चर्चा किया जाना उचित होगा यह है कि क्या चाही गई जानकारी का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित होगा ? तत्संबंध में धारा 8(1)(ञ) में निहित तथ्यों के अवलोकनार्थ एवं विषयवस्तु की गंभीरता तथा व्यापक लोकहित को देखते हुए बिन्दु 01(ब) एवं 01(स) में वांछित जानकारी का प्रकटन लोकहित में उचित नहीं है, क्योकि उक्त जानकारी गोपनीय प्रकृति की है जो कि व्यापक लोकहित में समाहित नही है, जिसे धारा 8(1)(ञ) के तहत प्रकट नही किया जा सकता है।

परिणामतः प्रकरण में आए तथ्यों के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (प्र.क. 03/2019 दिनांक 15.02.2019) अस्वीकार कर एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

Hamish

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

**क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –03/2019/ 07** रायपुर, दिनांक 26/03/2019

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)– आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सरोज कुमार साहू पिता श्री देवनाथ साहू संजय नगर, शिक्षक कालोनी, वार्ड क्रमांक–05 कुरूद, जिला– धमतरी (छ.ग.), को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते है।

EITC

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108